

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 156/319

पटना, दिनांक 28.3.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।
सहायक निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0002 निदेशन, विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों के प्रतिबद्ध व्यय के वहन हेतु कुल राशि रू० 20,98,000/- (बीस लाख अठानवे हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 20,98,000/- (बीस लाख अठानवे हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0002 निदेशन, विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 तथा इसके अन्तर्गत विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1621 एवं 1622, दिनांक 28.03.2019 द्वारा किये गये उपबंध से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :-

| क्र० | कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | मदवार आवंटित राशि (रू०) | | | योग |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| | | 0002.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0002.11.01 यात्रा व्यय | 0002.28.02 संविदा सेवाएं | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना। | 589000 | 39000 | 216700 | 844700 |
| 2 | वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना। | 0 | 0 | 160900 | 160900 |
| 3 | सहायक निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना। | 0 | 0 | 1092400 | 1092400 |
| 4 | योग | 589000 | 39000 | 1470000 | 2098000 |


3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृ० पृ० उ०

- राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
- (क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
- (ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
- (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
- (घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- (च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 30 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।


विश्वासभाजन


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 156/3170/

पटना, दिनांक 28.3.19


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 156/3170/

पटना, दिनांक 28.3.19

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।